मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1032 /आर 613/2007/ब–1/चार, दिनांक 25 /06/2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत,मध्यप्रदेश ।

विषयः– अस्थायी पदों की निरंतरता के संबंध में ।
संदर्भः– वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 472/आर 613/चार/ब–1/2007, दिनांक 24.5.2007.

–000–

संदर्भित ज्ञापन से राज्य शासन के अधीन अस्थायी पदों की निरंतरता के संबंध में निर्देश प्रसारित किये गये है । उक्त संदर्भित परिपत्र की निरंतरता में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:–

(1) आयोजना मद में अस्थायी पदों की निरंतरता

वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद में योजनाओं की समीक्षा हेतु गठित सक्षम वित्तीय समितियों द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के व्यय की अधिकृत सीमा तक योजनाओं के अस्थायी पदों की निरन्तरता के प्रस्तावों का परीक्षण भी किया जायेगा। समिति द्वारा अनुशंसा किए गए पदों की निरंतरता के प्रस्ताव पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रतिवर्ष प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किए जायेंगे। इस हेतु पृथक से वित्त विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी पद–निरन्तरता आदेश में समिति का नाम एवं बैठक की तिथि दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा।

(।) पदों की निरन्तरता के प्रस्ताव परिशिष्ट–1 में निर्धारित प्रपत्र में उपरोक्तानुसार गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे।

निरन्त.....2

(।।) जिन विभागों ने अपनी योजनाओं की समीक्षा उपरोक्तानुसार गठित समितियों से इन आदेशों के जारी होने के पूर्व कर ली है, उनके द्वारा परिशिष्ट –1 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में पदों की निरन्तरता के प्रस्ताव पृथक से सक्षम वित्तीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) आयोजनेतर मद के अस्थायी पदों की निरंतरता

(।) विभागों में 30 प्रतिशत पदों की कटौती तथा सांख्येत्तर पद घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया था। जिन विभागों ने 30 प्रतिशत पदों की कटौती तथा सांख्येत्तर घोषित पदों को समाप्त कर दिया है वे विभाग अस्थायी पदों की निरन्तरता के आदेश आगामी पॉच वर्षो के लिए अपने स्तर से जारी कर सकेंगे, इसके लिए वित्त विभाग मे प्रकरण भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। पॉच वर्ष की समयावधि की समाप्ति पर प्रकरणों में वित्त विभाग की सहमति अनिवार्य होगी।

(।।) जिन विभागों ने 30 प्रतिशत पदों की कटौती के संबंध में मंत्रिपरिषद से छूट के आदेश प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे विभाग भी आगामी 5 वर्षो तक पदों की निरन्तरता के आदेश जारी कर सकेंगे ।

(।।।) जिन विभागों ने 30 प्रतिशत पदों की कटौती तथा सांख्येत्तर पदों को समाप्त करने के लिए मंत्रिपरिषद से छूट के आदेश प्राप्त नहीं किए हैं, उन विभागों में पदों की निरन्तरता की स्वीकृति अब वित्त विभाग द्वारा नहीं दी जायेगी । ऐसे मामलों में विभाग को पदों का औचित्य और उन्हें निरन्तर रखे जाने की आवश्यकता के प्रस्तावों पर वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात् प्रशासकीय विभाग इन प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे जाकर आदेश प्राप्त कर सकेंगे। इस बाबत संक्षेपिका के साथ निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट –2 संलग्न करना अनिवार्य होगा। मंत्रिपरिषद आदेश प्राप्त होने पर आगामी पॉच वर्ष की समयावधि के लिए प्रशासकीय विभाग अपने स्तर पर प्रतिवर्ष पदों की निरन्तरता जारी कर सकेंगे। पॉच वर्ष की समयावधि की समाप्ति पर यदि पदों की आवश्यकता हो तो वित्त विभाग के अभिमत के साथ प्रशासकीय विभागों को प्रस्ताव पुनः मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।

निरंतर...3

3. उपरोक्त कार्यवाही दिनांक 30 सिंतम्बर, 2012 तक पूर्ण की जाकर विभागों द्वारा आदेश प्रसारित कर दिये जायें । अस्थायी पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आहरण में असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 30 सिंतम्बर, 2012 तक अस्थायी पदों के वेतन भत्ते आहरित किये जा सकेंगे ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(मनीष रस्तोगी)
आयुक्त, बजट एवं सचिव
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग

क्रमांक 1033 /आर 613/2007/ब–1/चार, दिनांक 25 /06/2012

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, भोपाल,
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल,
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर, मध्यप्रदेश,
5. सचिव, लोकायुक्त, भोपाल, मध्यप्रदेश,
6. अवर सचिव, म0प्र0 शासन,सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा), भोपाल,
7. अवर सचिव, म0प्र0 शासन,सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा), भोपाल,
8. मुख्य लेखाधिकारी, म0प्र0 मंत्रालय, भोपाल,
9. प्रांताध्यक्ष, म0प्र0 राजपत्रित अधिकारी संघ, कार्यालय 110/18,शिवाजी नगर, भोपाल,
10. प्रांताध्यक्ष,म0प्र0 तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, कम्यूनिटी हॉल, न्यू मार्केट, टी. टी. नगर, भोपाल,
11. प्रांताध्यक्ष,म0प्र0 तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, कार्यालय–85/61,तुलसी नगर, भोपाल,
12. प्रांताध्यक्ष,म0प्र0 म0प्र0 लघुवेतन कर्मचारी संघ, कार्यालय–12/5 साउथ, टी. टी. नगर, भोपाल,
13. प्रमुख महामंत्री, म0प्र0 शिक्षक कांग्रेस, कार्यालय–48/26, साउथ टी.टी.नगर, भोपाल,
14. महामंत्री,म0प्र0 राज्य कर्मचारी संघ, कार्यालय–98/48, तुलसीनगर, भोपाल,
15. प्रांताध्यक्ष,म0प्र0 कर्मचारी कांग्रेस, कार्यालय–98/48, तुलसीनगर, भोपाल,

निरंतर...4

16. प्रांताध्यक्ष, म0प्र0 अनुसूचित जाति/जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ, 83/85, तुलसीनगर, भोपाल,
17. अध्यक्ष, म0प्र0 सचिवालयीन कर्मचारी संघ, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल,
18. महालेखाकार(लेखा व हकदारी)/(ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
19. महालेखाकार(लेखा व हकदारी)/(ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश,
21. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश,
22. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
23. समस्त जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

(वीरेन्द्र कुमार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट–1

आयोजना मद

पदों की निरंतरता के प्रस्ताव हेतु निर्धारित प्रपत्र

सरल क्र0	योजना का नाम	मांग संख्या,मुख्य शीर्ष एवं स्कीम कोड	पद की श्रेणी/प्रकार	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	पद निर्माण की मूल तिथि	पद निरंतरता किस वर्ष तक दी जा चुकी है	कालम 9 में दर्शायी अवधि के लिये वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश कमांक व दिनांक	5 वर्ष की अवधि समाप्त होने की तिथि जिसके पश्चात् प्रस्ताव पुनः परीक्षण हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।	प्रस्तावित पदों को निरंतर रखे जाने का औचित्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

नोटः– यदि उपरोक्त कमांक दो में दर्ज योजना केन्द्र प्रवर्तित या केन्द्र पोषित है तो भारत शासन की स्वीकृति का कमांक व दिनांक तथा विगत पॉच वर्षो में भारत शासन से प्राप्त राशि पृथक से दर्शायी जाये।

परिशिष्ट–2

आयोजनेतर मद

पदों की निरंतरता के प्रस्ताव हेतु निर्धारित प्रपत्र

सरल क्र0	योजना का नाम	मांग संख्या,मुख्य शीर्ष एवं स्कीम कोड	पद की श्रेणी/प्रकार	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	पद निर्माण की मूल तिथि	पद निरंतरता किस वर्ष तक दी जा चुकी है	कालम 9 में दर्शायी अवधि के लिये वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश कमांक व दिनांक	5 वर्ष की अवधि समाप्त होने की तिथि जिसके पश्चात् प्रस्ताव पुनः परीक्षण हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।	प्रस्तावित पदों को निरंतर रखे जाने का औचित्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12